कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल स्थित फोटोग्राफी शेड को फोटोकॉपी कार्य के संचालन हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक संस्थायें/व्यक्तियों/कंपनियां अपनी निविदा दिनांक 05.10.2026 को सायं 5.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 06.10.2026 को सायं 05:00 बजे विभागीय समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय भोपाल की वेबसाइट https://bhopal.dcourts.gov.in एवं https://mptenders.gov.in पर उपलब्ध है, जहां से निविदा प्रलेख एवं शर्तें डाउनलोड की जा सकती है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल (म.प्र.)

निविदा प्रलेख

जिला न्यायालय भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल स्थित फोटोग्राफी शेड को फोटोकॉपी कार्य के संचालन हेतु किराये पर दिये जाने बाबत्।

निविदा प्रकाशन दिनांक	21.09.2026
निविदा की अंतिम तिथि एवं समय	05.10.2026 सायं 05:00 बजे
निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	06.10.2026 सायं 05:00 बजे
सुरक्षा निधि (एक मुश्त)	50,000/–

नाम तथा हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरी

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

कार्यालयः— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल (म.प्र.)

वित्तीय निविदा फार्म

इस निविदा आमंत्रण में रूचि रखने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था /कंपनी द्वारा निम्न प्रारूप में वित्तीय निविदा प्रस्तुत की जानी है।

स.क्रं.	विवरण	प्रतिमाह
1	जिला न्यायालय भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल स्थित फोटोग्राफी शेड को फोटोकॉपी कार्य के संचालन हेतु किराये पर दिये जाने के संबंध में।	19,091/—

नाम तथा हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरी

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

कार्यालयः– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल (म.प्र.)

तकनीकी निविदा फार्म

इस निविदा आमंत्रण में रूचि रखने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था /कंपनी द्वारा निम्न जानकारी की पूर्ति की जानी है।

(दस्तावेज संलग्न करें)

स.कं.	शीर्षक	विवरण	दस्तावेज (संलग्न है अथवा नहीं)
1	निविदाकर्ता का नाम तथा पता (फोन नंबर, ई–मेल उल्लेख करें)		
2	परिचय पत्र		
3	जीएसटी पंजीयन संबंधित विवरण एवं नवीनतम जीएसटी रिटर्न		
4	निविदाकर्ता का आयकर पेन (PAN) नंबर, गत तीन वित्तीय वर्षों (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25)		
5	कार्य करने का अनुभव संबंध दस्तावेज		
6	मध्यप्रदेश का मूलनिवासी प्रमाण पत्र		
7	आधार कार्ड		
8	वर्ष 2025–26 के बैंक विवरण की प्रति		

नाम तथा हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरी

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुद्र

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

//निविदा प्रलेख//

जिला न्यायालय भवन परिसर, भोपाल स्थित फोटोग्राफी शेड में अनुबंध निष्पादित कराये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये फोटोकॉपी कार्य संचालन हेतु उक्त स्थान किराये पर लिये जाने हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों, फर्मों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। उक्त स्थान के फोटोकॉपी कार्य के उपयोग हेतु विस्तृत विवरण एवं शर्तें निम्नानुसार हैः–

01– निविदायें https://mptenders.gov.in के माध्यम से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के नाम से दिनांक 05.10.2026 को सांय 05:00 बजे तक जमा की जावेगी तथा प्राप्त निविदा दिनांक 06.10.2026 को सायं 05:00 बजे विभागीय समिति के समक्ष खोली जावेगी।

02– नियत दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा एवं निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों में निविदाकार के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

03– फोटोग्राफी शेड में फोटोकॉपी कार्य संचालन हेतु निविदाकर्ता से निविदा के साथ किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से एकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट/फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट के रूप राशि रुपये 10,000/– (शब्दों में– राशि रुपये दस हजार मात्र) की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के पक्ष में Earnest Money Deposite (बयाना राशि) देना अनिवार्य होगा, इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

04– फोटोग्राफी शेड में फोटोकॉपी कार्य संचालन हेतु निविदाकर्ता द्वारा निविदा स्वीकार एवं अनुबंध निष्पादित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के उपरांत यदि निविदाकर्ता द्वारा किसी भी कारण से फोटोग्राफी शेड में फोटोकॉपी कार्य संचालन /अनुबंध निष्पादित करने से मना किया जाता है, तो उस स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत Earnest Money Deposite (बयाना राशि) रुपये 10,000/– का एकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट/फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट जब्त कर ली जायेगी एवं निविदाकर्ता का उक्त राशि पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

05– फोटोग्राफी शेड में फोटोकॉपी कार्य संचालन हेतु निविदाकर्ता को अनुबंध का अंतिम रूप देने के पश्चात अस्वीकार्य निविदाकर्ताओं को ई.एम.डी. राशि का एकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट/फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट वापस कर दिया जाएगा, किंतु किसी भी कारण से वापसी में देरी के लिये Earnest Money Deposite (बयाना राशि) जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

06– फोटोग्राफी शेड को फोटोकॉपी कार्य के उपयोग हेतु रू. 50,000/– (राशि पचास हजार रुपए) की एफ.डी.आर. सुरक्षानिधि के रूप में प्रधान जिला न्यायाधीश भोपाल के नाम से एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटित होने पर ऑनलाईन जमा करनी होगी।

07 प्रथम पक्षकार द्वारा दुकान के संचालन हेतु एक वर्ष के लिये राशि रूपये 19,091/– का न्यूनतम मासिक शुल्क/किराया निर्धारित किया गया है। उससे कम की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

08 निविदा खोली जाते समय सर्वप्रथम तकनीकी विड खोली जायेगी। जिस निविदाकार द्वारा ईएमडी की राशि एवं तकनीकी विड से संबंधित चाहे गये आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जायेगें, उन निविदाकारों की निविदा पर वित्तीय विड के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी विड में सफल निविदाकारों की ही वित्तीय विड खोली जायेगी।

09– न्यूनतम प्रीमियम राशि (मासिक किराया) राशि रू. 19,091/– प्रति माह निर्धारित किया जाता है जो कि प्रत्येक माह की 05 तारीख तक एडवांस देय होगा तथा लगातार तीन माह तक जमा न किये जाने की दशा में अमानत राशि जब्त कर वसूल की जाएगी तथा अनुबंध तत्काल निरस्त किया जाएगा।

10– व्यवसायिक प्रतिष्ठान लायसेंस के रूप में विशिष्ट कार्य हेतु एक वर्ष के लिए दिया जाएगा तथा प्राप्त निविदाओं में से जो सबसे उच्चतर की निविदा होगी उसे मान्य किया जाएगा।

11– निविदा मंजूर होने के पश्चात स्वीकृत निविदाकर्ता द्वारा फोटोकापी कार्य ही संचालित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी तरह का कार्य किए जाने पर स्वीकृत निविदा तत्काल निरस्त कर दी जावेगी।

12– विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सदस्यों तथा अनुभव प्राप्त बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में सुसंगत दस्तोवज संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

13– प्रतिष्ठान का पंजीयन नगर निगम, भोपाल संस्थापना अधिनियम के अंतर्गत कराना आवश्यक होगा।

14– व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

15– व्यवसायिक प्रतिष्ठान का व्यवसाय न्यायालयीन कार्य दिवस समय में ही किया जाएगा।

16– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल का एकमात्र विवेकाधिकार आवंटन के संबंध में अंतिम होगा।

17– व्यवसायिक प्रतिष्ठान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना नहीं करेंगे तथा अस्थाई निर्माण नहीं करेंगे जो शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित करता हो।

18– व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे।

19– व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु आवंटित स्थान को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या आडियो सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे।

20– आवंटित व्यवसायिक प्रतिष्ठान को किसी अन्य को आवंटित नहीं कर सकेंगे।

21– दुकान संचालक को स्वयं के व्यय पर दुकान की रंगाई–पुताई एवं विद्युत हेतु सब मीटर एवं जल कनेक्शन प्राप्त करना होगा।

22– फोटोकॉपी व टाईपिंग कार्य हेतु निर्धारित दरें परिसर में सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्षकार का होगा।

23– दुकान के आस–पास की स्वच्छता एवं सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

24– सफल निविदाकार द्वारा निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प शुल्क पर स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जावेगा।

25– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को यह अधिकार होगा कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान को दिए गए लायसेंस किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह का नोटिस देकर निरस्त कर दे और उस दशा में ऐसे आवंटितों को एक माह की अवधि में व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद करना होगा अन्यथा प्रधान जिला न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि ऐसे स्थान को रिक्त करा ले।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)